आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941' का नियम 129)

आदेश पत्रक सं0– ..... से .....

जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 09/सन–2023– 24

केस का प्रकार – विविध वाद

आदेश का क0 सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23.12.2024	–:आदेशः – यह विविध वाद अभिलेख सं0– 09/सन–2023– 24 आवेदक मनीर साह, पिता– स्व0 सहादत साह, ग्राम– जहनाडीह, पो0– नावागढ़ चट्टी, थाना– धनवार, जिला– गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में एवं संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 04 श्री राहुल कुमार वर्मा के द्वारा अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है : – 1. आवेदित मौजा– एकागुरी, थाना नं0– 137, खाता सं0– 12/33, प्लॉट नं07 829/1031 एवं अन्य भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाते की है। 2. प्रथम पक्षः – मनीर शाह, पिता स्व0 सहादत शाह, साकिन जहनाडीह द्वारा संलग्न राजस्व कागजातों के अनुसार मौजा एकागुरी थाना नं0– 137 गैरमजरूआ खास सर्वे खाता सं0– 12, हाल खाता सं0– 12/33 सर्वे प्लॉट नं0– 829 एवं अन्य हाल प्लॉट सं0– 829/1031 एवं अन्य रकवा– 8.84 एकड़ भूमि बाबत पैमाइस मोताविक सम्वत 1343 के अनुसार प्रथम पक्ष पूर्वज अहमद अली वो जान मोहम्मद दोनों के पिता एनाएत शाह के नाम से दर्ज है। लगान रसीद अहमद अली वो जान मोहम्मद के नाम से वर्ष 1958 – 59, 1960 – 61, 1961 – 62, 1962 – 63, 1964 – 65 1968 – 69, 1970– 71, 1971– 72, 1972– 73, 1977– 78, 1983– 84, 1985 – 86 एवं 1998– 99 से 2005 तक का संलग्न है, जबकि हल्का स्थित पंजी – II के वॉल्युम सं0– 01, पृष्ठ सं0– 32 पर मौजा एकगुरी खाता सं0 12/33 अहमद अली, जान मोहमद वो गुलाम हुसैन रकवा 8.45 एवं प्रथम लगान रसीद सं0– 430258 तारिख 27.03.1973 एवं अन्य रसीद अंकित है। 3. द्वितीय पक्ष : – तौवाब शाह वो सतार शाह उर्फ टुनटुन दोनों पिता नूर हुसैन साकिन जहनाडीह द्वारा पंजी– II का प्रमाणित पंजी – II की प्रति संलग्न की गई है, जिसमें अहमद अली, जान मोहमद वो गुलाम हुसैन दर्ज है एवं बताया गया कि इसके अतिरिक्त हमलोग के पास कोई दस्तावेज नहीं है क्योंकि सभी दस्तावेज प्रथम पक्ष के पास ही रहता था। 4. स्थानीय जाँच के क्रम में पाया कि प्रथम पक्ष के खेत को द्वितीय पक्षगण द्वारा जोत लिया गया है उक्त के आलोक में द्वितीय पक्ष के सतार शाह से पूछ – ताछ करने पर बताया गया कि हमलोग अपने हिस्से से कम जमीन पर जोता – आबाद कर रहे हैं जिसे नापी करवा कर बराबर करने को कहने पर नहीं कर रहें है। उक्त के संबंध में प्रथम पक्ष द्वारा बताया गया कि दस्तावेज हमलोगों के पूर्वज के नाम से है, पूर्वज द्वारा किस परिस्थिति में द्वितीय पक्ष को	

(7)

कुछ जमीन दिया गया है उसकी जानकारी हमलोगों को नहीं है। पूर्वज द्वारा किया गया बंटवारा को हमलोग मान कर शांति पूर्ण रह रहे हैं लेकिन द्वितीय पक्षगण हमारे खेत का जबरन जोत लिया है।

5. चूँकि लगान रसीद अहमद अली वो जान मोहमद के नाम से है जबकि हल्का स्थित पंजी– ॥ में अहमद अली जान मोहम्मद वो गुलाम हुसैन के नाम से अंकित है। अतः कार्यालय में उपलब्ध पुराना पंजी– ॥ से मिलान करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर आवश्यक कागजातों की मांग की जा सकती है।

जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने को कहा गया।

निर्धारित तिथि दिनांक– 20.06.2024 को उपस्थित हो कर प्रथम पक्ष ने कहा है कि लगान रसीद केवल उनके दादागण श्री अहमद अली एवं जान मोहम्मद के नाम से कटता है तथा गुलाम हुसैन जबरन उक्त भूमि पर दावा कर रहे हैं।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि यदि वे उक्त भूमि पर दावेदार नहीं हैं तो जमाबंदीदारों ने उनके साथ मिलकर उपरोक्त वाद में वर्णित भूमि का संयुक्त रूप से विक्रय पत्र केवाला कैसे बनाया? इससे स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष भी उक्त वाद भी भूमि पर दावेदार होते है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दिनांक– 25.10.2024 को दाखिल जबाव निम्न प्रकार है : –

1. यह कि एनायल अली ग्राम जहनाडीह थाना धनवार थाना नं0– 137, जिला– गिरिडीह का निवासी का था। जिसे तीन पुत्र था। जिसका नाम क्रमशः इस प्रकार है : –
   1. अहमद अली पिता एनायत अली,
   2. जान मोहम्मद पिता एनायत अली,
   3. गुलाम हुसैन पिता एनायत अली,
2. यह कि एनायत अली के तीनों पुत्रों ने ग्राम जहनाडीह और एकागुरी थाना– धनवार, थाना नं0– 137 जिला गिरिडीह के अन्तर्गत खाता सं0– 12/33, प्लॉट नं0– 829 एवं अन्य कुल रकवा– 08 एकड़ 84 डी0 जमीन बंदोबस्ती द्वारा हासिल किया और उस पर दखलकार हुए। जिसका चलता खतियान का छायाप्रति साथ संलग्न।
3. यह कि उपरोक्त वर्णित खाता, प्लॉट की जमीन को धनवार कार्यालय से वैधानिक रूप दिलाकर बिहार एवं झारखण्ड सरकार को माल देते आ रहे हैं जिसका धनवार अंचल कार्यालय में रजिस्टर– 2 चल रहा है जिसका छायाप्रति इसके साथ संलग्न है। जो अहमद अली, जान मोहम्मद गुलाम हुसैन के नाम से दर्ज है तथा 1997– 98 तक मालगुजारी रसीद भी निर्गत है।
4. यह कि उभय पक्षों के बीच उक्त खाता, प्लॉट से संबंधित जमीनी विवाद का निपटारा हेतु एक पंचायत भी दिनांक– 29.04.2023 ई0 को बुलाया गया था जिसमें उपस्थित पंचो के सामने प्रथम पक्ष के सदस्यों ने अपना ब्यान दिया कि खाता सं0– 12/33 के जमीन का आपसी घरैया बंटवारा अहमद अली, जान मोहम्मद, गुलाम हुसैन के बीच पूर्व में ही हो चुका है और सभी अपना– अपना हिस्सा पर दखलकार वो कायम काबिज हैं। उक्त पंचायत की भी एक छायाप्रति संलग्न है।
5. यह कि द्वितीय पक्ष के पास एक बिक्री पत्र भी है। जिसे तीनों फरीकैन के वंशजों ने साथ मिलकर मो0 अलीजान पिता सोबराती मियां के साथ बिक्री किया है। इस बिक्री पत्र में क्रमशः 01, 02, 03 अहमद अली 04, 05, 06, 07 जान मोहम्मद 08, 09,10 गुलाम हुसैन के वंशज है। इस ब्रिकी पत्र का छायाप्रति साथ संलग्न है।
6. यह कि द्वितीय पक्ष के सदस्य सतार साह पिता नूर हुसैन ने उक्त खाता, प्लॉट का अपना हिस्सा का जमीन बीबी तेगुना खातुन वगैरह

के साथ दिनांक– 30.07.2003 ई0 का बिकी किया है। जिसमे प्रथम पक्ष का सदस्य शमीम साह पिता जान मोहम्मद पहचान बना है। इससे भी स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष के सदस्यों का उक्त वर्णित खाता, प्लॉट की जमीन पर हिस्सा वो हक है। जिसे प्रथम पक्ष के सदस्य द्वारा स्वीकार किया गया है। इस बिकी पत्र की छायाप्रति साथ संलग्न है।

निर्धारित तिथि दिनांक– 06.12.2024 को उपस्थित हो कर प्रथम पक्ष की ओर से श्री मनीर शाह पिता शहादत शाह का कहना है कि द्वितीय पक्ष तथा प्रथम पक्ष का पूर्वज के द्वारा मौखिक बँटवारा के आधार पर जो भूमि पर पूर्व से जोत– आबाद करते आ रहे हैं उसी पर सभी संबंधित पक्ष जोत– आबाद करें। कोई भी पक्ष अपने भूमि के अलावे दूसरे पक्ष की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास न करे।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि उन्हें उनके हिस्से से कम भूमि प्रथम पक्ष के द्वारा दिया गया है। उन्होंने अपने हिस्से की पूर्ण भूमि प्राप्त होने का प्रथम पक्ष से आग्रह किया है।

चूँकि उभय पक्ष एक ही भूमि पर अपना मालिकाना हक दर्शाते हैं जिससे मामला स्वत्व का प्रतीत होता है, जिसपर कोई निर्णय मेरे स्तर से दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्रवाई बंद किया जाता है। विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

23.12.24

अंचल अधिकारी,
धनवार।

23.12.24

अंचल अधिकारी,
धनवार।

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2024.12.23 20:07:27 +05:30
Location: 192.168.159.65